



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक्र. / 2017 पुनरीक्षण

III भिन्नरानी | रीवा | भू. २०/२०१७/३७५५

अनिल कुमार पुत्र हीरालाल ब्राह्मण

निवासी ग्राम उरुआ तहसील मऊगंज

जिला - रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री अनिल कुमार पुत्र हीरालाल ब्राह्मण  
दाया आज दिन 19-10-17  
प्रस्तुत

विरुद्ध

बद्रीनारायण पुत्र रामदास ब्राह्मण

निवासी ग्राम उरुआ तहसील मऊगंज

जिला - रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

W3  
मुकेश रामामण  
गृन्थपुर ईडवोले  
१९११११४२

न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी महोदय तहसील मऊगंज

जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/ए-6/13-14 में

पारित आदेश दिनांक 19.9.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व

संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

Planted

11-10-17

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आराजी नं. 70/2 अनोवदक के पिता रामदास ने आवेदक के बाबा रामप्रसाद को दिनांक 28.9.1974 को विक्रय कर कब्जा सोप दिया था तत्पश्चात उनका नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हो गई थी जो निरंतर दर्ज होकर मौके पर काबिज चले आ रहे हैं।

(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबंधी आदेश प्रष्ठा

प्रकरण क्रमांक निः०।।/शीता/झू.२।।/१७/३७८८, उनिल चूजार/बहुनिरायठ

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों के<br>हस्ताक्षर |
|---------------------|---|--|
| ०९/०१/१९            | <p>आवेदक की ओर से श्री .....सुकेश चाठीवा..... अधिवक्ता<br/> द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी .....भगवाँज..... के<br/> प्रकरण क्रमांक ७५/A-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक<br/> १९/०९/१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में<br/> दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित<br/> संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु<br/> प्रकरण कलेक्टर जिला .....शीता..... के न्यायालय को अंतरित किया<br/> जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/४/१९.... को कलेक्टर जिला .....शीता.....<br/> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  |  |